



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260840
CG-DL-E-08022025-260840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 660]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1395(अ) दिनांक 15.03.2024, जो भारत के राजपत्र सं 1329 दिनांक 15.03.2024, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले में 60/650-73/2 किमी. में पक्की शोल्डर के साथ टू लेन से फोर लेन तक चौड़ीकरण तथा किमी. 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6 -70/0, 71/2-71/450 और 71/750 - 73/2 में सुदृढीकरण और केवल वेयरिंग का कोर्स km.61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6 , 70/0-71/2 छोटे पुलों का चौड़ीकरण, किमी. 64/2 पर अतिरिक्त पुल का निर्माण, पुलियों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण, मुसिरी - नमक्कल रोड (एनएच 381 बी) में निर्मित क्षेत्रों में रिटेनिंग वाल और ड्रेन का निर्माण तक के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.06.2024 " को "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनाकरन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के नमक्कल जिले में 60/650-73/2 किमी में पक्की शोल्डर के साथ टू लेन से फोर लेन तक चौड़ीकरण तथा किमी 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6 -70/0, 71/2-71/450 और 71/750 - 73/2 में सुदृढीकरण और केवल वेयरिंग का कोर्स km.61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6 , 70/0-71/2 छोटे पुलों का चौड़ीकरण, किमी.64/2 पर अतिरिक्त पुल का निर्माण, पुलियों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण, मुसिरी - नमक्कल रोड (एनएच 381 बी) में निर्मित क्षेत्रों में रिटेनिंग वॉल और ड्रेन का निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: नमक्कल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नमक्कल					
गांव का नाम: एम. मेट्टुपट्टी					
1	54/9	निजी	वेट	0.008669	एम सुब्रमण्यम पुत्र मुथुचामी 54/9B
2	66/1C1	निजी	ड्राई	0.004014	एस पेरियासामी पुत्र सेलाम्बागाउंडर 66/1C1A
3	66/1D	निजी	ड्राई	0.005788	एल दुरईसामी पुत्र लिंगप्पागाउंडर 66/1D1
4	66/1E	निजी	ड्राई	0.008568	एल दुरईसामी पुत्र लिंगप्पागाउंडर 66/1E1
5	66/2E	निजी	ड्राई	0.009133	1 एस पेरियासामी पुत्र सेलाम्बागाउंडर 2 एल दुरईसामी पुत्र लिंगप्पागाउंडर 66/2E1
Total				0.036172	

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-381B/43/AP/2021-22/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 664(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 1395(E) Dated 15.03.2024**, published in the Gazette of India **No.1329 dated 15.03.2024**, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Widening from two lane to four lane with paved shoulder in km 60/650-73/2 and strengthening in km 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6-70/0, 71/2-71/450 and 71/750 - 73/2 and only wearing course at km.61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6, 70/0-71/2 including widening of minor bridges, construction of additional bridge at km.64/2, widening and reconstruction of culverts, construction of retaining walls and drain in built up areas in Musiri - Namakkal road (NH 381B) in the district of Namakkal in the state of Tamil Nadu

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The New Indian Express**” and “**Dinakaran**” both dated 14.06.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling for Widening from two lane to four lane with paved shoulder in km 60/650-73/2 and strengthening in km 60/650 - 61/8, 62/8-63/4, 65/2-67/2, 67/6-70/0, 71/2-71/450 and 71/750 - 73/2 and only wearing course at km.61/8-62/8, 63/4-65/2, 67/2-67/6, 70/0-71/2 including widening of minor bridges, construction of additional bridge at km.64/2, widening and reconstruction of culverts, construction of retaining walls and drain in built up areas in Musiri - Namakkal road (NH 381B) in the district of Namakkal in the state of Tamil Nadu.

State: TAMIL NADU			District: NAMAKKAL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Namakkal					
Village: M. Mettupatty					
1	54/9	Private	Wet	0.008669	M Subramanian Son of Muthuchamy 54/9B
2	66/1C1	Private	Dry	0.004014	S Periyasamy son of Selambagounder 66/1C1A
3	66/1D	Private	Dry	0.005788	L Duraisamy son of Lingappagounder 66/1D1
4	66/1E	Private	Dry	0.008568	L Duraisamy son of Lingappagounder

					66/1E1
5	66/2E	Private	Dry	0.009133	1 S Periyasamy son of Selambagounder 2 L Durasamy son of Lingappagounder 66/2E1
Total				0.036172	

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-381B/43/AP/2021-22/3D]

ABHAY JAIN, Director